प्रकरण प्रक्रिया [illegible] 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करने के आदेश दिए हैं।

चूंकि Bail प्रकरण इस उप खण्ड कार्यालय के होने के कारण उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूरोड ने पत्रांक 122 दिनांक 21.6.2024 से इस कार्यालय को प्रेषित की है।

अतः प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी हो। पत्रावली आगामी दिनांक 29/8/24 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

29/8/24 चूंकि Bail प्रार्थना पत्र का मूल वाद संख्या 14/2019 दिनांक 24/8/2023 को इस न्यायालय द्वारा 29 दिन किया जा चुका है। चूंकि मूल वाद [illegible] चुका है अतः प्रार्थना पत्र [illegible] न्यायोचित नहीं होने के कारण 29 दिन किया जाकर पत्रावली फैसल सुपुर्द होकर नंबर से कक्ष में।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.08.09 11:42:51 IST
Reason: SelfAttested